

## आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1, वर्ष 2018) में दी गई व्यवस्था, तत्सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/ 2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 एवं शासनादेश संख्या 140/XXX(2)/18-30(13)2018 दिनांक 25 मई 2018 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में दी गई संस्तुति के क्रम में श्री रघुनन्दन सिंह निगल्टिया, प्रधान सहायक, कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर का स्थानान्तरण सुगम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल के आधार पर निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री रघुनन्दन सिंह निगल्टिया, प्रधान सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट	जनहित


श्री रघुनन्दन सिंह निगल्टिया को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री निगल्टिया का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन दिये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव बनाये जाने पर अधिनियम की धारा 24 अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

  
(डॉ० अजय कुमार वर्मा)  
उप कृषि निदेशक  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड  
देहरादून।

## कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक-कृ०नि०/1606 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2018-19 दिनांक 10/06/18  
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री रघुनन्दन सिंह निगल्टिया, प्रधान सहायक द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री रघुनन्दन सिंह निगल्टिया को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट को इस आशय से कि श्री रघुनन्दन सिंह निगल्टिया की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, ऊधमसिंहनगर/चम्पावत।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, काशीपुर/लोहाघाट।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।

  
उप कृषि निदेशक  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड  
देहरादून।

## आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1, वर्ष 2018) में दी गई व्यवस्था, तत्सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/ 2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 एवं शासनादेश संख्या 140/XXX(2)/18-30(13)2018 दिनांक 25 मई 2018 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में दी गई संस्तुति के क्रम में श्रीमती सुमन देवी, प्रधान सहायक, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून का स्थानान्तरण सुगम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल के आधार पर निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती सुमन देवी, प्रधान सहायक	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धूमाकोट	जनहित

श्रीमती सुमन देवी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्रीमती सुमन देवी का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन दिये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव बनाये जाने पर अधिनियम की धारा 24 अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

  
(डॉ० अजय कुमार वर्मा)  
उप कृषि निदेशक  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड  
देहरादून।

## कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-क०नि०/ 1607 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2018-19 दिनांक 10/06/18  
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती सुमन देवी, प्रधान सहायक कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
2. स्थापना पटल सहायक, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कार्मिक को अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित 07 दिन के भीतर कार्यमुक्त की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धूमाकोट को इस आशय से कि सम्बन्धित कार्मिक की योगदान सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायें।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, धूमाकोट।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
7. संयुक्त कृषि निदेशक, नियोजन एवं अनुश्रवण, कृषि निदेशालय।
8. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
9. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


  
उप कृषि निदेशक  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड  
देहरादून।

## आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1, वर्ष 2018) में दी गई व्यवस्था, तत्सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 एवं शासनादेश संख्या 140/XXX(2)/18-30(13)2018 दिनांक 25 मई 2018 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में दी गई संस्तुति के क्रम में श्री राजीव जोशी, प्रधान सहायक कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट का स्थानान्तरण दुर्गम कार्यस्थल से सुगम कार्यस्थल के आधार पर निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री राजीव जोशी, प्रधान सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल	जनहित


श्री राजीव जोशी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री जोशी का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन दिये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव बनाये जाने पर अधिनियम की धारा 24 अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

  
(डॉ० अजय कुमार वर्मा)  
उप कृषि निदेशक  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड  
देहरादून।

## कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-क०नि०/1608/स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2018-19 दिनांक 10/06/18  
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री राजीव जोशी, प्रधान सहायक द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री राजीव जोशी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल को इस आशय से कि श्री राजीव जोशी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत/नैनीताल।
5. ससम्बन्धित कोषाधिकारी, लोहाघाट/नैनीताल।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


  
उप कृषि निदेशक  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड  
देहरादून।

## आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1, वर्ष 2018) में दी गई व्यवस्था, तत्सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 एवं शासनादेश संख्या 140/XXX(2)/18-30(13)2018 दिनांक 25 मई 2018 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में दी गई संस्तुति के क्रम में श्री गोपाल सिंह बिष्ट, प्रधान सहायक, कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अगस्त्यमुनि का स्थानान्तरण दुर्गम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल में पारस्परिक आधार पर निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री गोपाल सिंह बिष्ट, प्रधान सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अगस्त्यमुनि	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर	अनुरोध पर (पारस्परिक)

श्री गोपाल सिंह बिष्ट को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री गोपाल सिंह बिष्ट का स्थानान्तरण उनके अनुरोध/पारस्परिक आधार पर किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन दिये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव बनाये जाने पर अधिनियम की धारा 24 अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

  
(डॉ० अजय कुमार वर्मा)  
उप कृषि निदेशक  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड  
देहरादून।

## कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/ 1609 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2018-19 दिनांक 10/06/18  
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री गोपाल सिंह बिष्ट, प्रधान सहायक द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अगस्त्यमुनि।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अगस्त्यमुनि को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री गोपाल सिंह बिष्ट को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर को इस आशय से कि श्री गोपाल सिंह बिष्ट की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, रुद्रप्रयाग/चमोली।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, अगस्त्यमुनि/गोपेश्वर।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।

  
उप कृषि निदेशक  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड  
देहरादून।

## आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1, वर्ष 2018) में दी गई व्यवस्था, तत्सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 एवं शासनादेश संख्या 140/XXX(2)/18-30(13)2018 दिनांक 25 मई 2018 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में दी गई संस्तुति के क्रम में श्री संदीप बुटोला, प्रधान सहायक, कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर का स्थानान्तरण दुर्गम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल में पारस्परिक आधार पर निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री संदीप बुटोला, प्रधान सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अगस्त्यमुनि	अनुरोध पर (पारस्परिक)

श्री संदीप बुटोला को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री संदीप बुटोला का स्थानान्तरण उनके अनुरोध/पारस्परिक आधार पर किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन दिये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव बनाये जाने पर अधिनियम की धारा 24 अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

  
(डॉ० अजय कुमार वर्मा)  
उप कृषि निदेशक  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड  
देहरादून।

## कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-क०नि०/1610 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2018-19 दिनांक 10/06/18  
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री संदीप बुटोला, प्रधान सहायक द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री संदीप बुटोला को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अगस्त्यमुनि को इस आशय से कि श्री संदीप बुटोला की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली/रुद्रप्रयाग।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, गोपेश्वर/अगस्त्यमुनि।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।

  
उप कृषि निदेशक  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड  
देहरादून।